

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या –2047 / 2014 / बीकानेर

मैसर्स सुभाष फर्नीचर, बीकानेर।

.....अपीलार्थी

बनाम

- (i) सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट-तृतीय, वृत्त-बी, बीकानेर।
(ii)उपायुक्त (प्रशासन), बीकानेर।

.....प्रत्यर्थीगण

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपरिथित :

श्री शफी मोहम्मद चौहान,
अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से

श्री अनिल पोखरणा,
उप-राजकीय अभिभाषक।

.....प्रत्यर्थीगण की ओर से
निर्णय दिनांक :04.06.2015

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी ने यह अपील उपायुक्त, (प्रशासन) वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे "सक्षम अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.09.2014 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) के तहत प्रस्तुत की है, जो प्रकरण क्रमांक प.4(38)कर/34/उपा-बी/2014–15/2259 दिनांक 17.09.2014 के संबंध में हैं तथा जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अधिनियम की धारा-34 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र को "सक्षम अधिकारी" द्वारा अस्वीकार करने को विवादित किया गया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या-1 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-तृतीय, वृत्त-बी, बीकानेर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 23, 24(4), 55 व राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 19ए के तहत अपीलार्थी व्यवहारी का निर्धारण वर्ष 2011–12 का एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश दिनांक 31.03.2014, पारित कर, मांग राशि रु.56,745/- सृजित की गयी थी, के विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अधिनियम की धारा 34 के तहत आवेदन पत्र प्रत्यर्थी संख्या-2 "सक्षम अधिकारी" के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिराकी "सक्षम अधिकारी" द्वारा सुनवायी कर, आदेश दिनांक 17.09.2014 के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। जिसे इस अपील के द्वारा चुनौती दी गयी है।
3. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।
4. इस संबंध में अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने उपरिथित होकर कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी का आलोच्य अवधि का निर्धारण आदेश पारित करने से पूर्व निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवायी हेतु नोटिस जारी किये बिना ही घोषित संव्यवहार में वृद्धि

अपील संख्या –2047 / 2014 / बीकानेर

कर, करारोपण कर, एकपक्षीय निर्धारण आदेश पारित किया गया है जो विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। अग्रिम अभिवाक् किया कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 48 के तहत सुनवायी का अवसर प्रदान किया जाना बाध्यकारी है। अतः न्याय हित में सुनवायी का अवसर प्रदान किये जाने की प्रार्थना की गयी ताकि इस संबंध में सुनवायी की जाकर, विधिसम्मत एवम् सही निर्धारण आदेश पारित किये जा सके। तदनुसार, सक्षम अधिकारी के आदेश को अपास्त करने की प्रार्थना कर, प्रकरण को संबंधित निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित करने का निवेदन किया गया।

5. विभाग की ओर से उप-राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी का आलोच्य अवधि का निर्धारण आदेश पारित करने से पूर्व निर्धारण अधिकारी द्वारा विधिक रूप से नियत तिथि दिनांक 14.08.2013 व दिनांक 11.12.2013 के लिये जारी किये गये थे। उक्त नियत तिथि को अनुपस्थित रहने के कारण निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारण वर्ष 2011–12 का निर्धारण आदेश पारित किया गया। विशिष्ट रूप से कथन किया कि निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त पारित आदेश के जरिये कायम की गयी मांग राशि रु.56,745/- का मांग पत्र संलग्न निर्धारण आदेश दिनांक 31.03.2014 को रजिस्टर्ड ए.डी. के दिनांक 02.04.2014 को अपीलार्थी व्यवहारी प्रेषित किया गया जो अपीलार्थी व्यवहारी को दिनांक 09.04.2014 को प्राप्त हुआ। कथन किया कि अधिनियम की धारा 34 (1) के प्रावधानानुसार निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित किये गये निर्धारण आदेश को पुनः खोलने हेतु अपीलार्थी व्यवहारी मांग पत्र प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर सक्षम अधिकारी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा। कथन किया कि हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा मांग पत्र प्राप्ति दिनांक 09.04.2014 के तीस दिन के अन्दर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं कर, दिनांक 22.08.2014 को प्रस्तुत किया गया है जो स्पष्टतः मियाद बाहर है। अतः उक्त तथ्यात्मक स्थिति के आलोक में, सक्षम अधिकारी द्वारा विधिक रूप से अधिनियम की धारा 34 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया गया है। अतः सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.09.2014 की पुष्टि कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी। रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया। इस संबंध में निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रेषित पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि निर्धारण अधिकारी द्वारा आलोच्य अवधि का निर्धारण आदेश पारित करने से पूर्व विधिक रूप से सुनवायी हेतु नियत तिथि दिनांक

—

अपील संख्या -2047/2014/बीकानेर

14.08.2013 व दिनांक 11.12.2013 के लिये जारी किये गये हैं परन्तु उक्त तामिलशुदा नहीं हैं, जिसके अभाव में यह नहीं माना जा सकता कि अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवायी का युक्तियुक्त मौका निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रदान किया गया था। विद्वान अभिभाषक ने दिये गये तर्कों में स्पष्ट किया है कि सर्वोत्तम कर निर्धारण करने से पूर्व व्यवहारी को सुनवायी का समुचित अवसर दिया जाना अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में, बाध्यकारी है विशेषतः कर निर्धारण में समुचित तथ्यों के आधार पर ही दायित्व बढ़ाया जा सकता है। दायित्व बढ़ाने पर सुनवायी का अवसर दिये जाने के नैसिर्गिक पक्ष से कर्तव्य इंकार नहीं किया जा सकता है। चूंकि परन्तु हस्तगत प्रकरण सक्षम अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 34 के तहत पारित आदेश के विरुद्ध है। इस संबंध में अधिनियम की धारा 34 के प्रावधान निम्नानुसार हैं:-

अधिनियम की धारा 34.—Reopening of *ex parte* assessment. — (1)

Where an assessment has been made *ex parte* under sections 22 or clause (b) of sub-section (2) of section 24, clause (c) of sub-section (3) of section 24, sub-section (4) of section 24 or section 25 or section 26 or section 27, the Deputy Commissioner (Administration) may, on the application of the dealer made within thirty days of the date of service of the notice of demand in consequence of such assessment along with such fee as may be prescribed, by an order direct the assessing authority or the officer authorized by the Commissioner as the case may be, to cancel the assessment and proceed to make a fresh assessment in accordance with the provisions of law.

(2) Before issuing direction under sub-section (1), the Deputy Commissioner (Administration) should be satisfied that the applicant dealer did not receive notice or summons issued to him under sections 22 or clause (b) of sub-section (2) of section 24, clause (c) of sub-section (3) of section 24, sub-section (4) of section 24 or section 25 or section 26 or section 27 or that he was prevented by sufficient cause from complying with any notice or summons issued to him for assessment.

(3) Where the order for cancellation of the assessment under sub-section (1) has been passed, the assessing authority or the officer authorised by the Commissioner as the case may be, shall make fresh assessment within sixty days from the communication of the order passed by the Deputy Commissioner (Administration) under sub-section (1).

7. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 34 के प्रावधानानुसार दो विन्दु निर्णायक हैं जिनके आधार पर पारित कर निर्धारण आदेश को पुनः खोला जा सकता है—(i) उपर्युक्त वर्णित धाराओं में पारित निर्धारण आदेश हेतु व्यवहारी को

अपील संख्या —1947 / 2013 / बीकानेर

सूचना पत्र प्राप्त नहीं हुआ है अथवा (ii) सूचना पत्र प्राप्त तो हो गया हो परन्तु सूचना पत्र की पालना न करने के समुचित कारण विद्यमान हों। उक्त प्रावधानों के प्रकाश में, रिकॉर्ड पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारण वर्ष 2011–12 के संबंध में निर्धारण आदेश पारित करने से पूर्व विधिक रूप से सुनवायी हेतु नोटिस तो जारी किया गया है (रिकॉर्ड पत्रावली के पृष्ठ क्रमांक—14 व 15 पर मौजूद) परन्तु उक्त तामिलशुदा नहीं है। जिसके अभाव में यह नहीं माना जा सकता कि जारी नोटिस अपीलार्थी व्यवहारी को तामिल हो गया था। अतः जारी नोटिस को

अपीलार्थी व्यवहारी को तामिलशुदा नहीं माना जा सकता।

अब हस्तगत प्रकरण में विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा दिये गये तर्क पर निर्णय किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में रिकॉर्ड पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 34 (1) के प्रावधानानुसार निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित किये गये निर्धारण आदेश को पुनः खोलने हेतु अपीलार्थी व्यवहारी मांग पत्र प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर सक्षम अधिकारी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा। परन्तु हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा मांग पत्र प्राप्ति दिनांक 09.04.2014 के तीस दिन के अन्दर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं कर, दिनांक 22.08.2014 को प्रस्तुत किया गया है जो स्पष्टतः मियाद बाहर है। अतः उक्त तथ्यात्मक स्थिति व अधिनियम की धारा 34(1) के विशिष्ट प्रावधानों के आलोक में, सक्षम अधिकारी द्वारा विधिक रूप से अधिनियम की धार 34 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया गया है। अतः सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.09.2014 की पुष्टि कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

8. परिणामतः, प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय प्रसारित किया गया।

4.6.2015
(मदन लाल)
सदस्य